इन्दिरा गांधी
और
भ्रष्टाचार

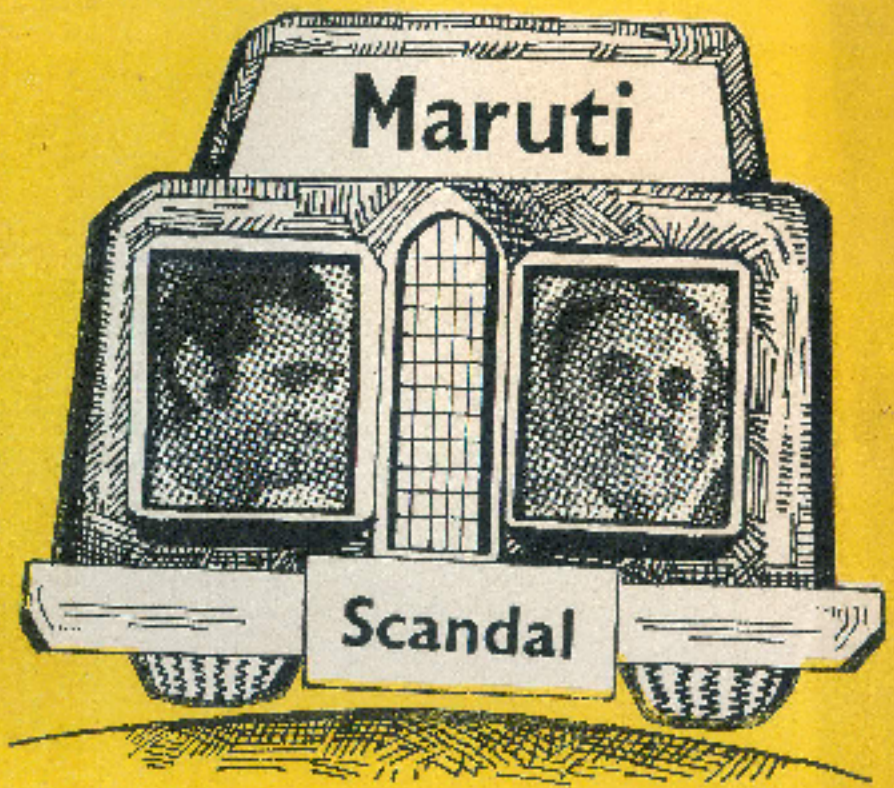

मारुति घोटाला

श्री संजय गांधी

श्रीमती इंदिरा गांधी

मारुति कार घोटाला

प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी की छोटी कार योजना का घोटाला पिछले २५ सालों में भारत सरकार पर सबसे गहरा और काला धब्बा है। स्वतंत्र भारत के किसी भी प्रधानमन्त्री ने इतने बड़े पैमाने पर और इतनी बेशर्मी से भ्रष्टाचार और बेईमानी को बढ़ावा और समर्थन नहीं दिया जितना इस योजना को लागू करने में हुआ है।

सच्चाई को छिपाने के लिए चालबाज लोग दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। या तो वे चुप रहकर सच्चाई को पूरी तरह छिपा देते हैं या फिर वे बेकार की और बेमतलब बातों पर इतना ज्यादा बोलते और शोर मचाते हैं कि सच्चाई गायब हो जाती है और जनता धोखा खा जाती है।

मारुति घोटाले का जब भंडाफोड़ हुआ तो सरकार ने इसी तरह की बक-

वाल और देमागलत्र की दावपेंच भरी बातों से जनता की आंखों में धूल डालने की कोशिश की। परन्तु मारुति योजना की कहानी एक सीधी-सादी सरल कहानी है और अगर इन्दिरा सरकार के बहुत बड़े भ्रष्टाचार और भाई-भतीजेवाद को हम समझना चाहते हैं तो इसे सही तरह समझकर औरों से जनना हमारा फर्ज है।

छोटी कार बनाने का विचार करीब दस साल पुराना है। सन् १९५९ में सरकार ने श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई जिसका काम कार-उद्योग की तरक्की का मुआयना करना था। अपनी रिपोर्ट में इस कमेटी ने कहा कि छोटी कार का सवाल जनता में बहुत लोकप्रिय है और इस कार की कीमत ६००० रुपए होनी चाहिए। कमेटी ने यह कहा कि हर साल इस तरह की १०,००० कारें चार या पांच करोड़ रुपए की लागत से बने कारखाने में तैयार होनी चाहिएं।

इसके बाद इन शर्तों पर कार बनाने वालों के प्रस्ताव मंगाये गए। ऐसे १३ प्रस्तावों में एक प्रस्ताव हिन्दुस्तान एअर क्राफ्ट लि० बंगलौर का था। इस कम्पनी की बनाई हुई कार सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) में बनती और इस फर्म के एक जवान इन्जीनियर ने सौ फीसदी देशी पुर्जों से छोटी कार का नमूना भी कामयाबी से बनाया जिसे पत्रकारों ने भी देखा था।

सन १९६० में श्री जी० पाण्डे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट यह थी कि छोटी कार का बनना मुमकिन है।

परन्तु इन रिपोर्टों के बावजूद, छोटी कार योजना शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि उस समय सरकार योजना के लिए पैसा जुटाने की बात पर कोई फैसला न कर सकी। उस समय के लोहा और भारी कारखाने के मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम ने पार्लियामेंट में सरकार की नीति समझाते हुए कहा।

"........छोटी कार योजना को पहला स्थान नहीं दिया जा सकता क्योंकि गाड़ियों के क्षेत्र में काफी समय तक माल और जनता सवारी उठाने वाली गाड़ियां ज्यादा तादाद में बननी चाहिएं।"

लेकिन आजकल श्री सुब्रह्मण्यम अपने ख्याल बदल चुके हैं और बड़ी मुस्तैदी से प्रधानमन्त्री के बेटे की छोटी कार के कारखाने को बनाने में मदद करने के लिए कानूनी तौर तरीके तोड़ने को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

योजना आयोग (प्लानिंग कमीशन) ने चौथी योजना में छोटी कार के धन्धे का विरोध किया। यहां यह भी कहना चाहिए कि इससे पहले प्लानिंग कमीशन का जबर्दस्त ख्याल था कि यदि मोटरगाड़ी के उद्योग को बढ़ाना है तो उसे पब्लिक सेक्टर में ही बढ़ाना चाहिए। परन्तु यह अचरज की बात नहीं है कि प्लानिंग कमीशन अब अपनी विचारधारा बदल चुका है और वह अब पब्लिक सेक्टर में छोटी कार बनाने का विरोध कर रहा है। योजना आयोग का ख्याल तब बदला जब यह बात काफी फैल चुकी थी कि छोटी कार योजना अब निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में बैठाई जाएगी।

मारुति कनस्तर

सन् १९६९-७० के करीब महाराष्ट्र, केरल, मैसूर और कुछ अन्य राज्य अपने इलाकों में छोटी कार योजना खुलवाने के लिए शोर मचाने लगे। हाल ही में तमिलनाडु में छोटी कार कारखाने की मांग करते हुए वहां के उद्योग मन्त्री ने कहा कि मारुति कार, जिसमें वे एक बार सफर कर चुके थे, "एक टीन के डिब्बे" की तरह है।

उस समय के उद्योग मन्त्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने पार्लियामेंट की एक सलाहकार समिति को यह बताया कि मंत्रि मंडल इस बात पर विचार करेगा कि छोटी कार योजना के लिए पैसे का इन्तजाम किस तरह किया जाय। उधर योजना आयोग बार-बार यह दोहरा रहा था कि मौजूदा कार फैक्टरियों को और बड़ा करना नई फैक्टरी खोलने से ज्यादा बेहतर होगा। परन्तु श्री अहमद और उनका उद्योग मंत्रालय छोटी कार योजना पर बराबर जोर देता रहा।

१७ नवम्बर, १९६८ को प्रधानमन्त्री के बेटे संजय गांधी के साथ १७ और लोगों ने छोटी कार का कारखाना खोलने की अर्जी दी। सरकार ने यह शर्त पेश की कि लाइसेन्स मिलने से पहले लाइसेन्स मांगने वालों को छोटी कार का एक सफल नमूना दिखाना पड़ेगा। ३० नवम्बर, १९७० को गुड़गांव (हरियाणा) में एक फैक्ट्री खोलने का लाइसेन्स श्री संजय गांधी को दिया गया। श्री गांधी के अलावा सिर्फ एक और सज्जन श्री मदन मोहन राव को ऐसा लाइसेन्स दिया गया। लेकिन श्री राव को यह लाइसेन्स तब मिला जब

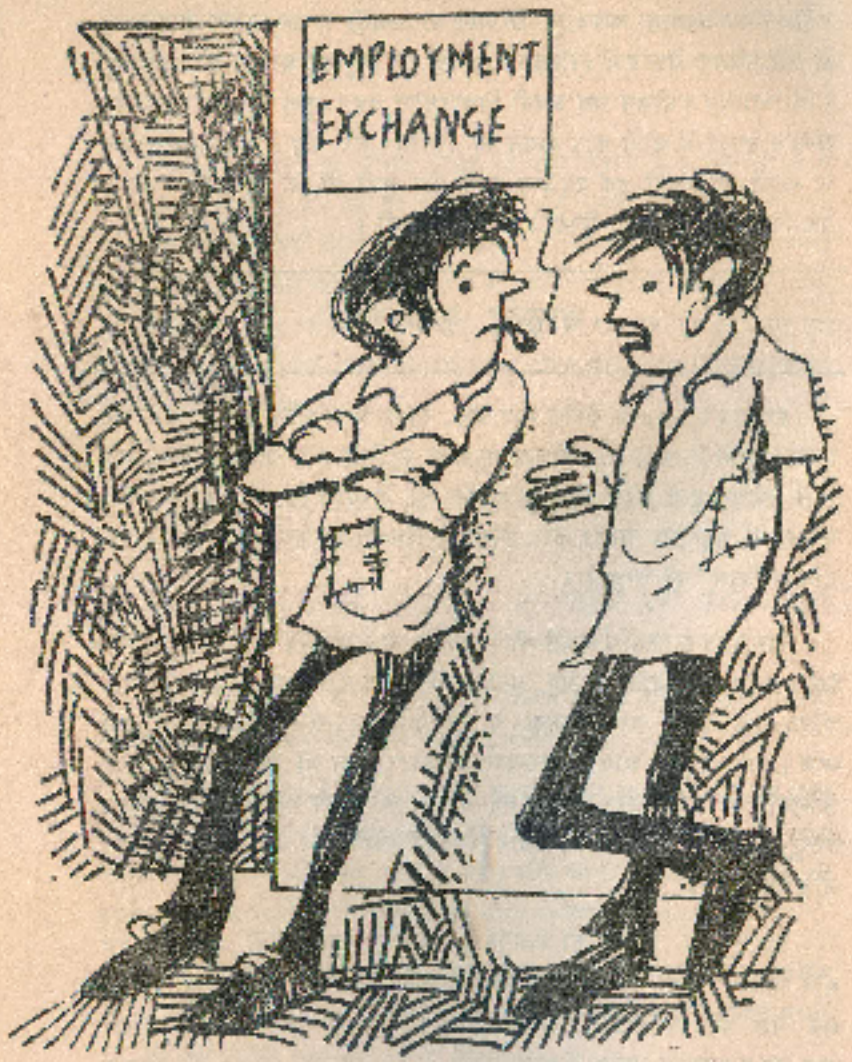

"आखिर तेरी मां भी है—वह प्रधान मन्त्री
क्यों नहीं बनी ?"

उन्होंने इसके पहले न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। जब अदालत में उनकी शिकायत की सुनवाई हो रही थी तब सरकार ने घबराकर उन्हें लाइसेन्स दे दिया और मुकदमा रद्द हो गया। बाकी जितनी अर्जियां आई थीं सब नामंजूर कर दी गईं। इन नामंजूर अर्जियों में पूरे देशी पुर्जों से छोटी कार बनाने वाली हिन्दुस्तान एअर क्राफ्ट लि० की अर्जी भी शामिल थी।

श्री संजय गांधी एक ग्रेजुएट इन्जीनियर नहीं हैं और १९६९-७० में उनकी सालाना आयकर (इनकम टैक्स) घोषणा कुल ७४८ रुपए की थी। इस पर भी उन्हें कई करोड़ की लागत और बड़े-बड़े तकनीकी विज्ञान से बनने वाली कार फैक्टरी खोलने का लाइसेन्स दिया गया। कुछ भी हो, फिलहाल श्री संजय गांधी ने एक ऐसा कारखाना बनाने की जिम्मेदारी ली जिसमें हर साल ५०,००० कारें बननी थीं।

लेकिन यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। कारखाना बनाने के लिए चाहिए थी जमीन और २६ लाख रुपए की यह २९७ एकड़ जमीन हरियाणा सरकार ने श्री गांधी को दी। यह जमीन हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री बंसीलाल ने सभी कायदे-कानून तोड़कर, फैक्टरी खोलने के लिए प्रधानमन्त्री के बेटे को पानी के भाव दी। जमीन देने से पहले उस पर बसे हुए १,५०० रिटायर्ड सिपाहियों को वहां से खदेड़कर उन्हें बेघरबार कर दिया गया। इसके अलावा खरीद करते समय जो पैसा दिया जाना चाहिए था वह भी नहीं अदा किया गया। इस प्रकार ४५०.५४ एकड़ में से ३०० एकड़ जमीन मारुति कार फैक्टरी को दी गई और इस तरह सभी मर्यादाओं, नियमों और कायदे-कानूनों को तोड़ के हरियाणा सरकार ने जमीन पर कब्जे की सूचना २४ फरवरी सन् १९७१ को जारी की।

इस जमीन में प्रत्येक २५ एकड़ पर एक ट्यूबवेल है और इस तरह इस जमीन का ६० फीसदी इलाका सिंचाई में आता है। इस इलाके में एक समय पर एक से ज्यादा फसल बोने के लिए कई ट्रैक्टर हैं और हर एकड़ पर ४ मवेशियों का औसत आता है।

कब्जे के बाद उजड़े हुए किसानों ने आपस में पैसा इकट्ठा कर इस घोर अन्याय के विरुद्ध हाईकोर्ट में ११ मार्च, सन् १९७१ को एक मुकदमा दायर किया। इस पर हरियाणा के बड़े सरकारी वकील (एडवोकेट जनरल) ने

कब्जे के नोटिस को वापस ले लिया। इस वापसी की सूचना २३ मार्च के गजट में प्रकाशित की गई। मुकदमा रद्द हो गया और किसान खुश होते हुए अपने-अपने घर लौट गए।

१५०० किसान उजाड़े गये

लेकिन अगले दिन २४ मार्च को सरकार ने कब्जे का एक खास हुक्म निकाला जिसे २३ जून, १९७१ तक प्रकाशित नहीं किया गया। साथ ही जमीन कब्जा कानून की धारा ६ के मुताबिक, आठ घंटे के अन्दर २०० किसानों को शिकायत सुनवाई के लिए बुलाया गया। किसान जब सुनवाई के लिए मीलों दूर गुड़गांव गए तो उनकी गैरहाजरी का मामला उठाते हुए पुलिस द्वारा उनकी जमीन को कब्जे में ले लिया गया।

इस तरह मासूम किसानों को बेघरबार किया गया और उन्हें धमकी दी गई कि यदि वे 'सहयोग' नहीं करेंगे तो उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया जायगा। इसलिए जो रकम दी जा रही थी उसे उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। किसानों को प्रति एकड़ ११७७६ रुपये ४२ पैसे दिये गये। जबकि कई दस्तावेजों और बिक्री कागजों के मुताबिक वही जमीन ४०,००० से ६०,००० रुपए एकड़ के भाव बिक चुकी थी।

प्रधानमन्त्री के बेटे की फैक्टरी शुरू करने में कानून तोड़ने की सिर्फ यही एक घटना नहीं हुई। मारुति कारखाना एक ऐसे स्थान पर लगाया गया है जो कि हवाई सेना के गोला-बारूद गोदाम और हवाई अड्डे के काफी नजदीक है। हवाई अड्डे के कमांडिंग आफिसर ने ११ मार्च, १९७१ को हरियाणा सरकार को यह सूचना दी कि हवाई अड्डे के नजदीक की जमीन अगर किसी गैर सरकारी संस्था को दी गई तो बारूद गोदाम और हवाई अड्डे को खतरा पैदा हो जाएगा। यहां यह भी कहना चाहिए कि खुद भारत सरकार ने इस जमीन पर वर्क्स आफ डिफेन्स एक्ट १९०३ के मुताबिक सन १९५९ और १९६६ में कानूनी रोक लगाई थी। आज यही जमीन हरियाणा के मुख्यमन्त्री कब्जा करने के बाद संजय गांधी की मारुति कार योजना को दे चुके हैं।

फिलहाल कमांडिंग आफिसर ने सिफारिश की कि फौरन कब्जे के नोटिस

को रद्द कर दिया जाय ताकि देश सुरक्षा की एक जरूरी जगह को नुकसान न हो।

इससे पहले इस जमीन पर एक भोले-भाले गरीब किसान ने एक नये ट्यूबवेल खोदने की कोशिश की थी और एक-दूसरे किसान ने अपनी खेती पर एक दीवार बनानी चाही थी परन्तु दोनों को सरकार ने हवाई अड्डे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मना किया था। अब उसी जगह पर बड़े आराम से एक कार फैक्टरी खड़ी की जा रही है ताकि प्रधानमन्त्री का बेटा अपनी मां की सरकार की ताकत से करोड़पति बन जाय।

श्री संजय गांधी की माता जी की सरकार ने श्री गांधी को सिर्फ लाइसेन्स ही नहीं दिया बल्कि उनके लिए कार नमूना बनाने की मियाद में दो बार बढ़ाया भी किया। उन्हें जिस कार के लिये लाइसेन्स दिया गया था वह बीस हार्स पावर और २ सिलिन्डर की थी और उसका इंजन हवा से ठण्डा होना था। सुनते हैं कि आजकल वे ४ सिलिन्डरों की पानी से ठंडी होने वाली कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री संजय गांधी की इस नाकामयाबी को देखते हुए क्या यह जायज नहीं कि लाइसेन्स उनसे छीन लिया जाय? यहां पर यह बात सोचने लायक है कि श्री संजय गांधी एक ग्रेजुएट इन्जीनियर नहीं हैं जबकि इस समय देश के ६०,००० प्रशिक्षित इन्जीनियर बेरोजगारी की ठोकर खा रहे हैं।

काला धन मारुति के लिए

हालांकि श्री गांधी की सालाना आमदनी ७४० रुपए से ज्यादा नहीं थी फिर भी उन्होंने लाइसेन्स के तौर पर ७ करोड़ से ज्यादा रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ पूंजीपति प्रधानमन्त्री के बेटे की मदद करने में अपना फायदा देखते हैं। इस फैक्टरी में संजय गांधी ने कुल १,००० रुपए लगाए हैं और बाकी साझेदारी का ज्यादा हिस्सा हरियाणा सरकार ने लगाया है। विदेशी बैंक नैशनल ग्रिन्डलेज पैसों के मामले में सलाहकार है और २ करोड़ रुपए तक की रकम को चलाता है। क्या यही वजह थी कि जब देशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो विदेशी बैंकों को इनाम के तौर पर बचा दिया गया था?

श्री संजय गांधी मारुति फर्म के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं और इसके डाइरेक्टरों में बड़े-बड़े पूंजीपति और करोड़पति व्यापारी हैं। इनमें से एक श्री रौनक सिंह भी हैं जिनकी फर्म लोहा काला बाजार में बेचने और लाखों रुपए की गड़बड़ करने की वजह से ब्लैक लिस्ट हो चुका है। सितम्बर १९७२ में श्री रौनक सिंह के घर में पुलिस का छापा भी पड़ चुका है जिसमें पार्लियामेंट में दिये गये बयान के मुताबिक १७ लाख रुपए का काला धन बरामद किया गया। इन सबके बावजूद उन्हें अपने धन्धे के लिए १.५ करोड़ रुपए का सरकारी कर्ज भी दिया जा चुका है। एक और हिस्सेदार श्री सी० बी० सरन को प्रतापगढ़ में एक ट्रैक्टर फैक्टरी खोलने का लाइसेन्स भी दिया जा चुका है हालांकि वहां कारखाना बनाने के लिए जमीन तक उनके पास नहीं है। मारुति के और हिस्सेदारों में सुदर्शन चिट फण्ड भी है जिसके धन्धों और कारनामों में आजकल खुफिया पुलिस जांच कर रही है। इससे यह जाहिर होता है कि श्री संजय गांधी को करोड़पति व्यापारी और पूंजीपति अपने फायदे के लिए पैसा दे रहे हैं।

जहां आजकल सरकारी यानी जनता के कारखानों में लोहे का अकाल पड़ा हुआ है वहां प्रधानमन्त्री के घर से एक टेलीफोन खड़खड़ाने पर श्री संजय गांधी को ६,००० टन लोहा मिनटों में मिल गया। यह बात पार्लियामेंट तक में कही जा चुकी है और सरकार ने इसका विरोध बिल्कुल खोखली और बेकार की बातों से किया है।

तो यह कहानी है मारुति योजना की। एक ऐसी योजना जिससे प्रधान मन्त्री का बेटा एक करोड़पति बन जायगा। अपनी मेहनत और पसीने से अगर आदमी अमीर बने तो यह अच्छी बात है। लेकिन ऊपर कही गई बातों के मुताबिक क्या यह सच नहीं है कि संजय गांधी बहुत कम समय में अपनी अजीबोगरीब मां की अजीबोगरीब मेहरबानी के कारण एक अजीबोगरीब स्तर के अमीर बन जायेंगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी छोटी कार योजना इस देश की निहायत गरीब जनता के खून से बनाई जा रही है ? क्या यह सबसे गिरे हुए और कमीने किस्म का भ्रष्टाचार नहीं है और जब देश का सबसे बड़ा अधिकारी इस तरह की बेईमानी करता है तो क्या मन्त्री, अफसर, क्लर्क और चपरासी बेईमान और भ्रष्ट होने के अलावा कुछ और हो सकते हैं ? बुजुर्गों ने ऐसे ही कहावत नहीं दोहराई थी कि "जैसा राजा वैसी प्रजा ।"

यह सवाल हर भारतवासी को अपनी आत्मा से पूछना होगा। अगर हम

इस किस्म के और हर किस्म के भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला नहीं करते तो क्या हम इस इतिहास की नजरों में समाज के दुश्मन, चरित्रहीन और धर्म तथा संस्कृति के विरुद्ध पाप करने वाले नहीं माने जायेंगे ? इस तरह के भ्रष्टाचार और 'बेटावाद' को अगर हम बेरोक चलने देते हैं तो हमारी अर्थ-व्यवस्था और हमारे मेहनती होनहार युवकों के साहस का सर्वनाश तो होगा ही साथ ही हमारा समाज, संस्कृति और धर्म भी बरबाद हो जायेंगे और जो समाज अपना धर्म खो देता है वह जल्द ही पतन और पूरी बरबादी में समा जाता है।

निष्पक्ष जांच क्यों नहीं ?

प्रधानमन्त्री ने अपने कुछ बयानों में कहा है कि उनका 'भावुक बेटा' संजय गांधी इस देश के जवान लड़कों के सामने एक मिसाल है। उन्होंने यह भी कहा है कि मारुति मामले के बारे में वे किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हैं।

श्रीमती गांधी को मालूम होना चाहिए कि इस देश के करोड़ों बेटे ऐसे हैं जो दिन भर कामकाज ढूंढते हुए दर-दर भटकते हैं और रात को अपने आंसू सुखाते हैं। यह भाग्यहीन युवक अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपने सामने किस तरह की मिसाल रखनी चाहिए। हालांकि श्रीमती गांधी का अपने बेटे की नाजुकी पर परेशान होना समझ में आता है लेकिन उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इस देश की करोड़ों माताएं ऐसी हैं जो अपने दिल में अपने बेटों की निराशा और नाकामयाबी की आग दबाकर जी रही हैं। श्रीमती गांधी जांच का सामना करने की बात करती हैं, क्योंकि एक निरपेक्ष, ईमानदार और इन्साफ पसन्द जांच कमीशन नहीं बैठाया जा रहा है ताकि असलियत जनता के सामने आ जाए। भारत की जनता को जागृत होकर अपने ख्यालों को ताकत के साथ जाहिर करना चाहिए और अपने अधिकारों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मारुति की काली और जहरीली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस घोटाले और धोखे की जांच पूरी तरह से होगी, इन्दिरा गांधी की मेहरबानी से नहीं, जनता की मांग, ताकत और अधिकार के जोर पर।

मारुति की कहानी की शुरुआत प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी और उनके चेलों व चमचों ने की थी। इस कथा का अन्त जनता के हाथ से होगा।

आपकी नजर में......

आचार्य कृपलानी :

"अब प्रधानमन्त्री के सामने (मारुति के) इस पेचीदा मामले में सिर्फ यह रास्ता बचता है कि वह कुछ दिन पहले लखनऊ में घोषित सार्वजनिक जांच का सामना करने की अपनी रजामन्दी को पूरा करें। सच्चाई तक पहुंचने का कोई और तरीका नजर नहीं आता।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

"आज भी मौका है कि जो भी धांधलियां इस सम्बन्ध में हुई हैं उनके बारे में जांच करना आप स्वीकार कर लीजिए। ...... इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज जिस तरह से फैक्ट्री खड़ी की जा रही है उसमें प्रधानमन्त्री के पद का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनके प्रभाव का दुरुपयोग हुआ है।...... जो लोग इस फैक्टरी को बनाने में मदद दे रहे हैं वह बाहर उनके प्रभाव का लाभ उठाना चाहते हैं। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। इससे प्रधानमन्त्री की प्रतिष्ठा कोई बढ़ने वाली नहीं है।"

श्री श्यामनन्दन मिश्र :

"......लेकिन एक बात साफ जाहिर है, यह करीब पूरी तरह साबित हो चुका है कि हरियाणा के मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री को 'ब्लैकमेल' की स्थिति तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमन्त्री को गलत स्थिति में लाने के लिए उन्होंने किसानों को लूटा है। यह दिखाने के लिए कि प्रधानमन्त्री के नाम पर वह कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने प्रतिरक्षा नियमों को तोड़ा है जिनके मुताबिक (प्रतिरक्षा सम्बन्धी इलाकों से) एक खास दूरी के अन्दर इस प्रकार के कारखाने या कोई और इमारत नहीं बनाई जा सकती। प्रधान-मन्त्री के लिए उचित होगा कि इस मामले की जांच करवाएं क्योंकि मुख्य मन्त्री यह कारनामे उसी दौरान कर रहे थे जिस समय उनके खिलाफ भ्रष्टा-चार के आरोपों की जांच की जा रही थी। यह महज इत्तिफाक नहीं हो

बताएं कि (हरियाणा) मुख्यमन्त्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उसी समय खारिज किए गए जबकि वह यह सभी घोर रूप में अनियमित कदम उठा रहे थे।"

श्री ज्योतिर्मय बसु :

"प्रधानमन्त्री के पद का दुरुपयोग एक बहुत गम्भीर मामला है। जगह-जगह टेलीफोन किए गए......। तकरीबन ६,००० टन इस्पात दिया गया। हिन्दुस्तान स्टील वाइर्स को टेलेक्स सन्देश भेजे गए कि इस्पात का अपना पूरा भण्डार गुड़गांव भेजो (जहां मारुति कारखाना बन रहा है)।

"यदि यह सब श्रीमती इन्दिरा गांधी की इच्छा से हुआ तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि यह भ्रष्टाचार और भाई-भतीजेवाद का साफ उदाहरण है और सारे देश के लिए शर्म की बात है।"

अगले अंक
में पढ़िये

खाद्यान्न के
सरकारी व्यापार
का
भंडाफोड़

मूल्य : ०.५० पैसे

प्रकाशक : भारतीय जनसंघ, केन्द्रीय कार्यालय,
विट्ठलभाई पटेल भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
मुद्रक : नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस)
नया बाजार, दिल्ली।